R. 5214-पी/15

122

1. जमुना प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद तिवारी,
2. शीतल प्रसाद पिता गजाधर प्रसाद तिवारी,

दोनो निवासी ग्राम– चुरहट, तह0– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)

——— आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मुस0 रामवती पति स्व0 शान्तनु प्रसाद,
2. संतोष पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
3. गिरीश पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
4. प्रदीप पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
5. अमित पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,
6. कालिन्दी पाण्डेय पिता स्व0 शान्तनु प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम– चुरहट, तह0– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)

———— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर सीधी, जिला– सीधी के प्रकरण क्रमांक– 15 / निगरानी / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक– 30.10.2015

अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

{क} यह कि गैरनिगरानीकर्तागण ग्राम– चुरहट की भूमि खसरा क्रमांक–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5214–दो / 15 जिला –सीधी

दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकांत त्रिपाठी उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 15 / निगरानी / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 30. 10.15 के विरूद्व म0प्र0द भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा चुरहट की भूमि खसरा कमांक 805 रकवा 0.035 है0 पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के तहत नई प्रविष्टि यानी अपना कब्जा दर्ज करने बावत तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 26.12. 95 को तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी में अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 31.3.97 को आदेश पारित कर तहसील का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.3. 97 से परिवेदित होकर अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई, इसी से दुखित होकर यह निगरानी	

क्रमशः

इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि भू–राजस्व संहिता की धारा 116 में कब्जे की नई प्रविष्टि की त्रुटि जो 1 वर्ष के भीतर हो उसका सुधार किया जा सकता है किसी व्यक्ति का कब्जा अंकित नही किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में भूल की है तथा अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा उसी भूल को सही ठहराते हुये उस भूल को दोहराया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

4– आवेदक के अधिवक्ता के तर्कानुसार एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावजे के आधार पर में प्रकरण का गहराई से अवलोकन किया । प्रकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अनावेदक ग्राम चुरहट की आराजी न0 805 रकवा 0.035 है0 पर कब्जा इन्द्राज का प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील चुरहट द्वारा दिनांक 26.12.95 को इस आधार पर निरस्त किया था कि धारा 116 के तहत नये कब्जे की प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है जिसके विरूद्व अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बादग्रस्त भूमि पूर्व में भगीरथी एवं मुस0 बडकी तथा हीरालाल के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी। भागीरथी एवं बडकी फौत हैं बिवादित भमि ऐसे भूमि स्वामियों के नाम दर्ज है जो मृत हैं मौजूद नहीं । वारिसों को पता लगाने की किसी ने प्रयास नहीं किया।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया है वह प्रत्यावर्तित किया गया है इसी आदेश को अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

के0 सी0 जैन
सदस्य